Peer Reviewed Refereed
and UGC Listed Journal
(Journal No. 47026)

ISSN 2319 - 359X

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
HALF YEARLY RESEARCH JOURNAL

IDEAL

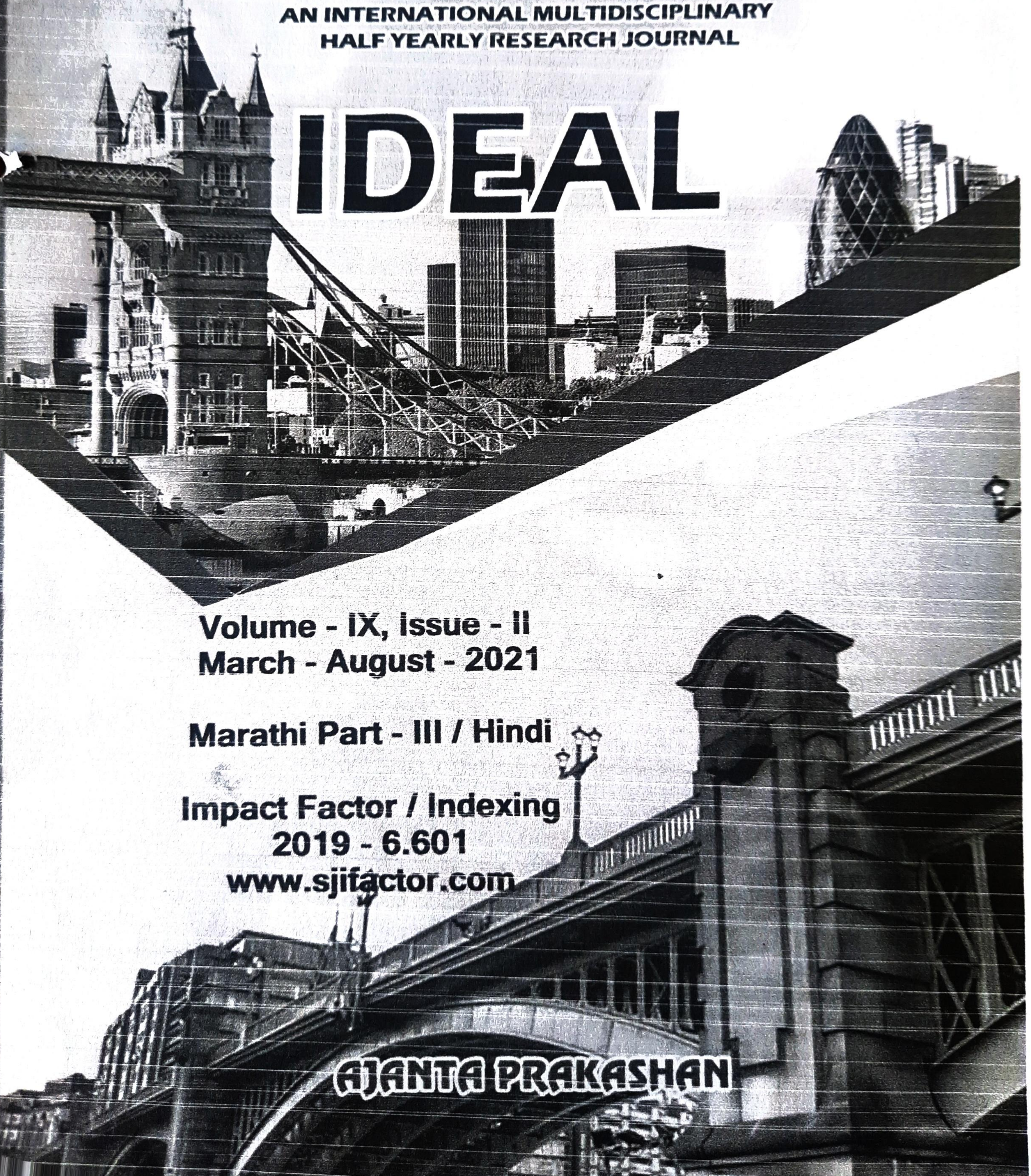

Volume - IX, Issue - II
March - August - 2021

Marathi Part - III / Hindi

Impact Factor / Indexing
2019 - 6.601
www.sjifactor.com

AJANTA PRAKASHAN

ISSN 2319 - 359X

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
HALF YEARLY RESEARCH JOURNAL

IDEAL

lume - IX Issue - II March - August - 2021

Marathi Part - III / Hindi

Peer Reviewed Refereed and UGC Listed Journal No. 47026

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

IMPACT FACTOR / INDEXING
2019 - 6.601
www.sjifactor.com

❖ EDITOR ❖

Assit. Prof. Vinay Shankarrao Hatole
M.Sc (Math's), M.B.A. (Mkt), M.B.A (H.R),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod & Dirt), M.Ed.

❖ PUBLISHED BY ❖

Ajanta Prakashan
Aurangabad. (M.S.)

The information and views expressed and the research content published in this journal, the sole responsibility lies entirely with the author(s) and does not reflect the official opinion of the Editorial Board, Advisory Committee and the Editor in Chief of the Journal **"IDEAL"**. Owner, printer & publisher Vinay S. Hatole has printed this journal at Ajanta Computer and Printers, Jaisingpura, University Gate, Aurangabad, also Published the same at Aurangabad.

Printed by

Ajanta Computer, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad. (M.S.)

Printed by

Ajanta Computer, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad. (M.S.)
Cell No. : 9579260877, 9822620877 Ph. No. : (0240) 2400877
E-mail : ajanta6060@gmail.com, www.ajantaprakashan.com

IDEAL - ISSN 2319 - 359X - Impact Factor - 6.601 (www.sjifactor.com)

EDITORIAL BOARD

Mehryar Adibpour
Faculty of Computing London
Metropolitan University,
Holloway Road, London.

Dr. Ashaf Fetoh Eata
College of Art's and Science,
Salmau Bin Adbul Aziz University. KAS

Dr. Altaf Husain Pandi
Dept. of Chemistry University
of Kashmir, Kashmir, India.

Dr. Ramdas S. Wanare
Associate Professor & Head Accounts & Applied Stat,
Vivekanand Art's Sardar Dalip Sing Commerce
& Science College Samarth Nagar, Aurangabad (M.S.)

Dr. Prashant M. Dolia
Dept. of Computer Science and Applications,
Bhavnagar University, India.

Dr. P. A. Koli
Professor & Head (Retd),
Dept. of Economics, Shivaji University,
Kolhapur - (M.S.) India.

Dr. Rana Pratap Singh
Professor & Dean School for Environment Science,
Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar University
of Raebareily, Lucknow- India.

Dr. Joyanta Barbora
Head Dept. of Sociology University of
Dibrugarh- India.

Dr. Jagdish R. Baheti
H.O.D., SNJB College of Pharmacy,
Neminagar, Chandwad, Nashik (M.S.) - India.

Prof. P. N. Gajjar
Head, Dept. of Physics,
University of School of Sciences,
Gujarad University, Ahmedabad- India.

Dr. Memon Ubed Mohd Yusuf
Asst. Prof. Dept. of Commerce,
Sir Sayyed College Aurangabad (M.S.) - India.

Prof. S. R. Damodar
Head of Department Political Science
Sitabai Arts, Commerece & Science College, Akola.

Dr. P. R. Gawai
Head of Department Economics,
Sitabai Arts, Commerece & Science College, Akola.

Dr. Kailas Wankhade
Professor, Department of Marathi,
Sitabai Arts, Commerece & Science College, Akola.

EDITORIAL BOARD

Dr. D. R. Khanderao
Dept. of English,
Sitabai Arts, Commerece & Science College, Akola.

Dr. S. K. Keswani
Head of Department of Hindi,
Sitabai Arts, Commerece & Science College, Akola.

Prof. Bhaskar Dharne
Head of Department Marathi,
Sitabai Arts, Commerece & Science College, Akola.

Dr. Ashok Sonone
Librarian, S. A. College, Akola Sitabai Arts,
Commerece & Science College, Akola.

Dr. B. G. Jogdand
Dept. of Political Science,
Sitabai Arts, Commerece & Science College, Akola.

Dr. Sunil Gaygol
Head of Department of Sociology
Sitabai Arts, Commerece & Science College, Akola.

PUBLISHED BY

Ajanta Prakashan
Aurangabad. (M.S.)

VOLUME - IX, ISSUE - II - MARCH - AUGUST - 2021
IDEAL - ISSN - 2319 - 359X - IMPACT FACTOR - 6.601 (www.sjifactor.com)

CONTENTS OF HINDI

अ.क्र.	लेख और लेखक के नाम	पृष्ठ क्र.
१	महिला सक्षमीकरण में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की भूमिका **डॉ. सुरेशकुमार केसवानी**	१-३
२	डॉ. अम्बेडकर और बौद्ध धर्म **डॉ. अर्चना झा. पाटील**	४-६
३	महिला सक्षमीकरण में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की भूमिका **प्रा. डॉ. साधना देशमुख**	७-९
४	डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर के महिला सबलिकरण के बारे मे कार्य **प्रा. डॉ. प्रिया भा. बोचे**	१०-१४

VOLUME - IX, ISSUE - II - MARCH - AUGUST - 2021
IDEAL - ISSN - 2319 - 359X - IMPACT FACTOR - 6.601 (www.sjifactor.com) AP- 13

४. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर के महिला सबलिकरण के बारे मे कार्य

प्रा. डॉ. प्रिया भा. बोचे
सं. भ. बा. कला महाविद्यालय, सिंदखेड राजा, जि. बुलढाणा ।

प्रस्तावना

प्राचीन काल मे महीलाओ की स्थीती व्यवहारीक जीवन मे पूरूषो की तूलना मे श्रेष्ठ रही है शास्त्रो मे उनका दर्जा भी उच्च रहा, सन 700 के बाद भारत मे महीलाओकी स्थिती मे मूस्लीम आततायीयो के कारण दिन प्रति दिन दयनिय होती गई ,नायजेरिया अका संस्कृति मे महिला अपने बल पर शिकार करती थी इजिप्त मे क्तियोपेनरा जैसी प्रसिद्ध महीला शासक एक उदाहरण के रूप मे प्रस्तूत की जाती है। महीलाओके अधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक महिला या बलीका का विश्र्वव्यापी समाजो मे पहचाना हुआ जन्मसिध्द अधिकार या हक है। 19 वी सदी मे महिला हक संग्राम और 20 वी सदी मे फेमीनिस्ट आंदोलन का यह आधार रहा है कई देशो मे यह हक कानूनी तौर पर अंदरूनी समाजव्दारा या लोगो के व्यवहार मे लागू होता है। तो कई देशोमे यह प्रचलीत नहि है कई देशो मे व्यापक तौर पर मानवधिकार का दावा निहित इतिहासिक और परंम्परागत झूकाव के नाम पर महिलाओ और बालिकाओ का हक पूरूषो और बालको के पक्ष मे दे दिया जाता है। इन सब घटना ओ का अभ्यास पूर्ण विचार विमर्श करके डॉ.आबेंडकर ने अपने भारत देश मे पहले से ही महिलाओके पक्ष मे बहोत बडा योगदान दिया।

15 ऑगस्ट सन 1947 की सूबह हम आजाद थे और आज भी है, लेकिन भारत की आधि आबादी भारत के स्वतंत्रता के बाद भी कई रूढी वादी बंदिशो मे कैद थी, भारत की नारी सामाजिक, आथीक और राजनीतीक अधिकारोपर नाममात्र का अधिकार लिए, विकास के हर किले को फतह करने के लिए तत्पर थी स्वतंत्रता के पहले और बाद भी महिलाओको समाज मे बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए गए लेकिन भारत कि आधी आबादि के अधिकारोका कानूनी दस्तावेज तयार किया भारत के पहले कानून मंत्री डॉ.आबेंडकर ऊन्होने भारत की बेटियोकी मजबूती के लिए ऐसा खाका तयार कीया जिसमे विवाह , तलाक, संम्पती आदी तमाम मूद्दोपर अधीकार देने की बात की गई। डॉ.आबेंडकर महिला अधिकारो के बडे पैरोकार थे। उनका मानना था कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिऐ कि उस समाज मे महिलाओ कि स्थिती क्या है किसी भी देश की उन्नती और विकास के लिए महिलाओ का समूचित विकास होना सर्वोपरी है। उनका मानना है की यदी हमे विकास के शिखर पर पहूचाना है तो महिलाओ को शिक्षित और सशक्त बनाना होगा। डॉ.आबेंडकर का मानना था की यदी महिलाए संगठित हो जाए , तो समाज को सही दिशा मे देश अपना अहंम योगदान दे सकती है। वह भारत की शिक्षाव्यवस्थाको बेहतर बनाने के लिऐ महिलाओ को शिक्षित करने के पक्षधर थे। नारी शक्ती ,साहस,त्याग , संघर्ष ,से भली भाती परिचित थे। इसलीए उन्होने व्हाईसराय की कार्यकारी परीषद के श्रम सदस्य के पद पर रहते हूए महिलाओ के लीए प्रसूती अवकाश की व्यवस्था कराई। संभवता महिला स्वास्थ चिंतो को लेकर दर्ज इतिहास की यह पहली छूटी रहि होगी।

डॉ.आबेंडकर का चिंतन संविधान मे सभी [illegible] दिलाऐ जाने के साथ साथ महिलाओ को बराबरी के अधिकारोकी वकालत भी [illegible] सन 1951 मे हिंदू कोड बिल पेश किया । हालाकि जिस दढता से इस बिल को पेश [illegible] उसका विरोध हूआ। निश्चित तौर पर ये कानून महिलाओ की स्थिती समाज मे बेह[illegible] । जिनसे आगेकी राह भी आसान हुई है। फिर वह हिंदू महिलाओ के कानूनी अधि[illegible]ओ को गूजारा भत्ता और तलाक के नियम मे होने वाले बदलाव आजादि के अबतक [illegible] पूर्ण फैसले लिऐ गऐ है जो [illegible] सामाजिक और आर्थिक मजबूती देते है। [illegible] हिंदू कोड बिल संविधान सभा मे डॉ.आंबेडकर व्दारा पेश किया गया था। उस वक्त [illegible] मे इस बिल का पहले से विरोध हो रहा था। तब इस बिल के कारण आंबेडकर और [illegible]ओ का सामना करना पडा था।

हिंदुओ के लिए एक समान [illegible]आत अंग्रेजो ने आजादी देने के पहले शुरू कर दि थी। इसके लिए सन 1941 में सर बि.एन. [illegible] कमेटी का गटन किया [illegible] इस कमेटी ने पूरे देश का दौरा करके हिंदू समाज के [illegible] संशोधन को लेकर विचार [illegible] इस कमेटी ने हिंदी निजी कानून का एक [illegible]आदेश को आजादी मिलने के बाद [illegible] सभा का निर्माण हूआ,तब सन 1948 मे [illegible] संहिता के मसौदे की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया । जिसके अध्यक्ष कानू[illegible]डकर थे ।डॉ बी.आर. आंबेडकर ने इस कानून का बारीकी से अध्ययन करके चयन [illegible]ता कानून सिर्फ हिंदूओं [illegible] बौध्द,जैन और हिंदू पंथो पर भी लागू होना था । [illegible] हिंदू समाज मे बड़ा परिवर्तन [illegible] थी , जिसे लागू होने के बाद महसूस भी [illegible]

प्रस्तावित कानून में कूछ बिंदू मूख्य थे

- किसी मृत पूरूष की संपत्ति [illegible]बेटी को उसके बेटों के बराबर हिस्सा दिया जाना ।
- पती के किसी संक्रामक [illegible]ने कि स्थिती मे उसकी पत्नी उससे अलग रहती है,तोउसे गुजारा भत्ता [illegible] ने किसी दूसरी [illegible] कीया है तो ऐसी स्थीती मे भी गूजारा भ[illegible] था ।
- हिंदूओ के बीच किसी [illegible] बिना किसी भेदभाव के [illegible] और कानूनी [illegible] प्रदान किया जाना । [illegible]की किसी भी जाती [illegible] अंतर जाती विवाह को कानूनी मानता दी गई ।
- पती या पत्नी मे से [illegible] व्यक्ती यों से संबंध [illegible] बीमारी के आधार पर तलाक की अर्जी देने [illegible] ।

एकल वीवाह को अनीवार्य करना [illegible] को गोद लेने पर [illegible] ।

लैंगीक समानता की [illegible] परिवर्तन बेहद ही [illegible] होने वाला था । इस कानून के जरीए हिंदू समाज की [illegible] अधिकार प्राप्त होने [illegible] इस कानून को लागू करने से रोकने मे बहूत सी रूढ[illegible] पूरी ताकत लगा दि । संविधान सभा मे जब इस कानून को पेश किया गया तो इस कानून [illegible] बहूत हंगामा हूआ [illegible] को बाधित किया गया ।

उस समय राजेंद्र प्रसाद ने एक पत्र लिखकर नेहरू को कहा था कि यह कानून अन्याय पूर्ण और अलोकतांत्रीक है । अब इस कानून का विरोध संविधान सभा के साथ साथ सडक मे भी होना था । 1949 मे ही कमेटी का गठन कर लिया गया था । जिसका नाम अखिल भारतीय हिंदू संहिता कानून विरोधी कमेटी था । इस कमेटी ने हिंदू संहिता कानून का पूरीजोरसे विरोध किया और कहा कि संविधान सभा को हिंदूओ के निजी कानून मे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहि है । जो धर्म शस्त्रो के आधार पर कायम है । इस विधेयक के विरोध की अगुआई स्वामी करपात्री महाराज कर रहे थे । रामचंद्र गूहा अपनी कीताब मे लिखते है की ' उनके व्दारा विधेयक का विरोध इसलिए किया जा रहा था, क्योकीं इसकी रूपरेखा आंबेडकर व्दारा तैयार की जा रही थी । उन्होने खासकर कानून मंत्री के जाती पर सवाल उठाते हूए कहा कि पूर्व अछूत को बाम्हणो के विशेष अधिकार की बातोमे हस्तक्षेप करने का कोई हक नहि है ।'इसके बाद लगातार विरोध बढता रहा और एक खास अवधि तक पारीत नही होने की वजहसे विधेयक गिर गया । इस विधेयक के पारीत न होने का सबसे ज्यादा दूख आंबेडकर को हूआ । उन्हे इस बात का काफी दूख हूआ कि नेहरू आखिरकार विरोधियो के सामने झूक गए । इस कारण अक्टूबर 1951में उन्होने केंद्रीय मंडल से इस्तीफा दे दिया ।भारतीय संविधान कभी कभी बहस के लिए लोच छोड देता है, और जब वे मूद्दे बडे हो जाते है तो बहस घंटो या दिनो नहि ,सालो साल चला करती है और कई बार राजनैतिक अवसरवादिता का भी शिकार हो जाती है. संविधान के 44 अनूच्छेद के साथ साथ भी हूआ है। इसमे कहा गया है,'राज्य भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र मे नागरिको के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा.' यह अनूच्छेद एक ऐसा उदाहरण बन गया है जिसे लगभग हर सरकार ने अपने अपने हिसाब से इस्तीमाल किया है । लेकीन जब संविधान लागू किया गया था तब निर्माताओं की ऐसी मंशा नही थी,वे इसे प्रारूप मे ही लागू करना चाहते थे, पर ऐसा नही हो पाया 1955 में हिंदू सिविल कोड आधा अधूरा ही पारीत हो पाया,फिर भी यह एक सकारात्मक पहल थी । सबसे ज्यादा प्रतिरोध मूसलिम लीग के सदस्योने किया , उनकी दलील थी कि जब पिछले 200 सालो से अंग्रेजो ने ऐसी कोई हिमाकत नही की तो अब इसकी क्या जरूरत है, एक मूस्लिम सदस्य ने दलील दी कि उनके यहा शादीया, तलाक , जायदाद आदि बातो पर फैसले शरीयत के मूताबिक लिए जाते है और जो मूद्दे बहूसंख्यको पर लागू होते है, अल्पसंख्यको पर लागू नही किये जा सकते है कूछ ने कहा कि यूनिफार्म सिविल कोड लगाने का यह सही वक्त नही है । इसके उलट आंबेडकर, कन्हैयालाल मूंशी और कृष्णस्वामी अय्यर ने इसकी पैरवी की ,उनका मानना था की पर्सनल लॉ देश को आगे नही ले जा पायेगा,लेकिन बात बनती न देख आंबेडकर ने प्रस्ताव दिया कि इस पर आम सहमती से आगे बढा जाए,उन्होने आश्र्वासन भी किया कि समान नागरिक संहिता बनेगी पर तब भी इसे जबरन लोगो पर लादा नही जाएगा । कुल मिलाकर बात यह हूई कि मुस्लिम समुदाय के रहनुमाओ ने समाज को इससे दूर कर दिया ।

हिंदू कोड बिल का संसद में रखा जाना और उसके विरोध के तर्क

मुसलमानो के विरोध का नतिजा यह हूआ कि हिंदू कोड बिल प्रस्तावित किया गया सिक्ख, जैन और बौध्द धर्म मानने वालो को भी इसकी परिधि मे लाया गया.यह आज भी एक बहस का मुद्दा है । हिंदू कोड बिल के रखे जाने के साथ ही इस पर तूखू बहस शूरू हो गई,विरोध करने वाले दो तबके थे । एक जो हिंदू जीवन पध्दती मे किसी प्रकार का बदलाव नही चाहता था और दूसरा जो इसके विरोध में सिर्फ इसलिए था कि सिर्फ

हिंदूओ के लिए ही सुधार क्यो किया जा रहा है, मुसलमानो पर ऐसा कोई बिल लागू क्यो नही किया जा रहा यानी कि वे सैध्दांतिक तौर पर इसे सुधार तो मान रहे थे पर मुसलमानो पर ऐसा कोई प्रावधान लागू करने की बात नही थी ,इसलिए इसके विरोध मे थे । सबसे ज्यादा विरोध हिंदू शादियों और संपत्ती के बटवारे को लेकर था महात्मा गांधी के आदर्शो के अनुसार छूआछूत को खत्म करने और महिलाओ को सार्वजनिक जीवन मे आगे लाने के लिए प्रयासों को आगे बढाते इस बिल के अहम प्रावधान थे

- हिंदू विधवाओं और लडकियों को पिता के संपत्ती में पुत्र के बराबर की हिस्सेदारी
- हिंदू पुरूष व्दारा उप स्त्री रखने या पत्नी के प्रती क्रूर व्यवहार रखने या पूरूष के विभत्स बीमारी से ग्रसित होने की हालात में पत्नी को अलग होने और गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार.
- विवाह संबंधो मे किसी प्रकार के जातीय भेदभाव को खत्म करना.
- अमानविय व्यवहार, विवाहेत्तर संबंध,न ठिक होने वाली बींमारी की हालत में पती पत्नी दोनो को तलाक मिलने का अधिकार .
- सिर्फ एक जीवन साथी रखने की छूट.
- किसी अन्य जाती के बच्चे को गोद लेने का अधिकार.

इस तरह देखे तो यह हिंदू जीवन पध्दती मे काफी बडे बदलाव की पहल थी और इसलिए इसका विरोध होना स्वभाविक था कई हिंदू संगठन और रसूख वाले हिंदू इनके विरोध मे खडे हो गए । समाज दोनो ही तरफ खडा था, समस्या तब और बडी हो गई जब संविधान सभा के अध्यक्ष के साथ सरदार पटेल भी इसके विरोध मे हो गए और उनके साथ साथ अन्य लोग भी आ गए जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और आंबेडकर के बीच हिंदू कोड बिल को लेकर तीखे मतभेद रहे । आर एस.एस. और अन्य संगठनोने इस बिल की निंदा की । ये बिल हिंदू धर्म पर परमाणू बाम गिराने जैसा है ऐसी टिका उस पर होने लगी । तब 1951 मे डॉ आंबेडकर ने कानूनी मंत्री के पद का इस्तीफा देकर नेहरू की मूश्कीले बढी,इस्तीफा देने के कई कारण थे इनमे से एक उन्होने बताया,नेहरू का हिंदू कोड बिल पर ढूलमुल रवैया । 1952 के आम चूनाव मे काँग्रेस को पूरे देश भर मे आसानी से बहूमत मिला काँग्रेस की कुछ महिला सांसदो ने इस बिल को पारीत किये जाने की इच्छा जताई जैसे ही चुनाव के बाद संसद का गठन हूआ , नेहरू ने फिर हिंदू कोड बिल को पेश किया.जब नेहरू ने हिंदू कोड बिल को निचले सदन में पेश किया तो उसे बनाने वाले आंबेडकर मौंजूद नही थे । बाद मे वे राज्यसभा पहूचे तब वे सिर्फएक दर्शक की हैसियत से इस पर हो रही बहस को देख रहे थे ।

नेहरू के रणनीति मे बदलाव

पहले के विरोध को ध्यान रखते हूए अब की बार असली बिल को कई भागो में बांट दिया 1955 मे इसके पहले भाग को हिंदू मैरेज अँक्ट को बहूमत से पारीत करवाकर उन्होंने इस पर कानून बनवा दिया आने वाले सालो मे संपत्ती का अधिकार , गोद लेने का अधिकार और कुछ अन्य कानून भी आने वाले सालों मे पारित हो गए । हिंदू संगठनो से ज्यादा समाज ने इसे अपनाकर एक मिसाल पेश की और उसके एक बहूत बडे तबके ने अपने प्रगतिशिल होने के सबूत दिए जो देश के लिए शुभ संकेत थे । पिछले एक दशक मे हिंदू समाज मे काफी तेजी से सुधार हुए है । हाल ही मे तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय कुछ संगठनो ने भी

आर.एस.एस.जैसा बर्ताव दिखाया था पर नमाज के सकारात्मक नजरिए ने देश मे महिलाओ के प्रती बढती संवेदनशीलता पर अपनी भी मुहर लगा दी है।

निष्कर्ष

निश्चित तौर पर ये कानून महिलाओ की स्थीती समाज मे बेहतर करने मे सहायक बने, जिनसे आगे की राह भी आसान हूई है,फिर वह हिंदू महिलाओं के कानूनी अधिकार हो या मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता और तलाक के नियम मे होने वाले बदलाव। आजादी से अब के इतिहास मे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है, जो महिलो को सामाजिक और आर्थिक मजबूती देते है। अभी हाल ही मे 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के व्दारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005, की पुनर्व्याख्या की गई जिसमे सर्वोच्च न्यायालय के व्दारा अपने हालिया निर्णय मे पुरूष उत्तराधिकारी के समान हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ती में उत्तराधिकारी और सहदायिक अधिकार का विस्तार किया गया है। जिसका संबंध हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 से है। यह निर्णय संयूक्त हिंदू परिवारो के साथ साथ जैन, बौध्द, आर्य समाज से संबंधित समूदायो पर भी लागू किया जाएगा। बेटींयों को बेटो के समान अधिकार दिया जाना चाहिये,बेटि जीवन भर एक प्यार करने वाली बेटि बनी रहती है,बेटी पूरे जीवन एक सहदायीक बनी रहेगी, भले ही उसके पिता जीवित हो या नही।

वास्तवात मे सर्वोच्च न्यायालय का यहि फैसला महिला अधिकारो के साथ साथ डॉ आंबेडकर के हिंदू कोड बिल की जीत है , जो निश्चीत तौर पर महिलाओं के उज्वल भविष्य की इबारत लिखेगा। आने वाले समय मे महिलाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

संदर्भ सूची

१. भारत गांधी के बाद, रामचंद्र गुहा
२. भारत का संविधान , ग्रेनविल ऑस्टीन
३. समकालीन राजनीतिक विचारक, डॉ बी.सिंह गहलौत
४. आधुनिक भारतातील राजकीय विचार, भा.ल. भोळे
५. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर , धनंजय कीर